हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार ,दिनांक 17 मार्च, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई ।

प्रश्न काल
तारांकित प्रश्न

17/03/2015/1100/RG/JT/1

प्रश्न सं. 1569

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि गृह आबंटन के लिए वरिष्ठता के मापदण्ड क्या हैं ,किस आधार पर यह आबंटन किया जाता है, किन लोगों को पहले आवास दिया जाता है और किन लोगों को बाद में दिया जाता है?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, गृह निर्माण के लिए बहुत ही सरल और बहुत ही क्लीयर डायरैशन्ज दी गई हैं। ये दो मुख्य बातों पर निर्भर करता है ,पहला लोगों की सीनियोरिटी और दूसरा फण्ड्ज की उपलब्धता। बेस्ड ऑन दैट जो पिछले सत्र में बात चली थी कि इसके लिए कोई अच्छी कमेटी का गठन किया जाए क्योंकि तब तक उपायुक्त महोदय ही इसकी चेयरमैनशिप किया करते थे। उसके बाद इसमें यह फैसला लिया गया था और सरकार ने भी कह दिया कि for this purpose, a high-powered committee has been appointed which is headed by most of the Ministers, CPSs, MLAs and Chairmen of Boards/Corporations और इसी प्रकार से जिला परिषद के चेयरमैन भी इसमें सम्मिलित हैं। वे इसके क्राइटेरिया को देखकर स्वयं इसका फैसला करते हैं और बेस्ड ऑन कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई फायर सफरर हो ,कोई नेचुरल कैलेमिटी आई हो या कोई अन्य किसी प्रकार की घटना घटित हुई हो। तो मैं समझता हूं कि अपनी wisdom के अनुसार whatever they put up, but based on the seniority और वहां के फण्ड्ज की उपलब्धता के आधार पर इसके लिए फण्ड्ज दे दिए जाते हैं और लोगों को मुहैया कर दिए जाते हैं।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी है अगर उसके 'क' भाग में देखें, तो पच्छाद क्षेत्र में 93 मामले लम्बित हैं जिसमें 11 मामले वर्ष 2010 से, 14मामले वर्ष 2011 से और 15 मामले ऐसे हैं जो वर्ष 2012 से लम्बित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है कि वर्ष 2010 से अभी तक ये मामले लम्बित हैं, लेकन इसके पश्चात वर्ष 2014 में जिन लोगों ने आवेदन किया था उनको भी घर दे दिए गए हैं।

17/03/2015/1100/RG/JT/2

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस चीज को देखा है कि वर्ष 2010-11 के मामले अभी तक लम्बित हैं। मैं देख रहा था और एक-दो स्थानों पर मैं गिनती भी कर रहा था, मैंने पाया कि वर्ष 2010 के लगभग ,12 वर्ष 2011 के 14 मामले और वर्ष 2012 के 15 मामले हैं। इस प्रकार यदि वर्ष 2013 और वर्ष 2014 को मिलाएं, तो ये मिलकर 52 हो जाते हैं। यदि ध्यान से देखें, तो पूरे-के-पूरे 93 मामले हैं। मुझे यह समझ आता है कि जिला समिति ने अपनी विजडम में इसको न जाने किस प्रकार से देखा होगा-------जारी

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

17/03/2015/1105/MS/Jt/1

प्रश्न संख्याः 1569क्रमागत

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जारी------

मुझे यह समझ आता है कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने अपनी विजडम में न जाने पहले किस प्रकार से इसको देखा होगा, but I respect the sentiments of those members who have been on this very high-powered Committee, I should say, क्योंकि उन्होंने तो सीनियोरिटी को ऑनर करना ही होगा। अगर सीनियोरिटी को ऑनर नहीं करेंगे या इसमें किसी प्रकार की भूल-चूक कर करेंगे तो मैं समझता हूं कि it is a Committee which is responsible and not the administration or anybody else. तो जो आपकी यह पैंडिंग रही है, it is a matter of concern and I take a very serious note of it. Based on this, we will definitely issue directions कि कभी इस प्रकार की पैंडेंसी न हो।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गृह निर्माण के लिए कल्याण विभाग की ओर से राशि दी जाती है, यह कितनी दी जाती है? इसके अलावा, जो यह राशि दी जाती है क्या इसके खर्चे को प्रदेश ही वहन करता है या केन्द्र सरकार की ओर से भी इस राशि में योगदान रहता है? यदि रहता है तो कितना रहता है? इसके अलावा मैं यह जानकारी भी चाहता हूं कि इसमें एक वैल्फेयर कमेटी जिसको पहले बन्द कर दिया गया था, बाद में दुबारा

आपने सभी माननीय सदस्यों के आग्रह पर उसको रि-कन्सीडर किया और कन्सीच्यूट किया। इस कमेटी की अध्यक्षता जिले में कोई वरिष्ठ मंत्री करते हैं। उसमें हमने देखा है कि बहुत-बड़ी तादाद में ऐसे लोग, जिनके घर जल गए होते हैं या बाढ़ के कारण नुकसान हो गया होता है, उनको क्या प्राथमिकता के आधार पर इसमें प्रोविजन करने का सरकार विचार रखती है? इसके अतिरिक्त एक और जानकारी मैं चाहता हूं। अनुसूचित जाति के लिए तो यह योजना प्रमुख रूप से है लेकिन इसके अलावा जो अनुसूचित जन-जाति और ओ0बी0सी0 के ये दो वर्ग ऐसे हैं ,क्या उनको भी इसमें मकान देने का प्रावधान है? यदि है, तो कितना है तथा किस रूप में है, यह मैं जानना चाहता हूं?

17/03/2015/1105/MS/Jt/2

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष जी ,माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और वह यह कि अगर फायर एक्सीडैंट सफरर्ज हों या किसी प्रकार की नैचुरल क्लेमिटी हो जाती है तो क्या उन लोगों का ध्यान रखा जाएगा। मेरा कहना है कि डैफिनेटली ध्यान दिया जाएगा। उसके लिए न केवल यह कमेटी बल्कि और भी कमेटी एप्वायंट होती हैं और अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो कभी-कभी तो केन्द्र तक से समितियां आती हैं। मैं समझता हूं कि जब इतनी हाई पावर्ड कमेटी इन प्लेस हो तो इस प्रकार के मामले में चिन्ता नहीं होनी चाहिए और ठीक तरीके से based on the principle of equality, justice and fair play, the complete fund should be going down to the people. और मैं समझता हूं कि जितनी भी इस प्रकार की स्कीमें हैं इस पर निर्देश हैं परन्तु अगर ज्यादा पैंडेंसी हो और जैसे कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस प्रकार की जो पैंडेंसी है वह आगे न हों तो उसके लिए भी required sort of direction/ निर्देश दे दिए जाएंगे।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि गृह निर्माण के लिए जो राशि आती है क्या इस राशि को प्रदेश सरकार ही वहन करती है या इसके लिए केन्द्र सरकार से भी राशि मिलती है? अगर मिलती है तो कितनी राशि मिलती है? इसके अलावा, मैंने यह भी पूछा था कि अनुसूचित जनजाति और ओ0बी0सी0 ,ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके लिए बहुत कम प्रोविजन इसके अन्तर्गत रहता है और उनको मकान नहीं मिल पाता है।

क्या इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि जहां इस प्रकार की कम्युनिटी है, पॉपुलेशन के बेस पर उनको भी मकान देने की प्राथमिकता इसमें तय हो पाएंगी?

मंत्री जी का जवाब श्री जे0के0 द्वारा-------

17.03.2015/1110/जेके/एजी/1
प्रश्न संख्याः ---:1569**जारी**----

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न यह है कि what type of funding is being given. मैं क्लीयर कर देना चाहता हूं कि it is a fully State funded programme. सारा पैसा इस योजना पर खर्च होता है तथा राज्य सरकार की तरफ से ही यह खर्च होता है। दूसरी बात आपने कही है percentage of population, definitely, we give credence to this or based on population अभी तक का जो आबंटन किया है और आप देंखेंगे कि सभी जिलों में वहां प्रतिशतता के आधार पर ही ये फंड बांटे जाते हैं। जहां पर जितनी पॉपूलेशन एस.सी. कम्पोनेंट की है या ओ.बी.सी. की है या एस.टी. की है, यदि आप उत्तर को ध्यान से देखेंगे तो इनमें सभी का हिस्सा है। पहले भी माननीय सदस्य ने यह बात पूछी थी कि क्या केवल एस.सी. पॉपूलेशन को ही दिया जाता है? यह फंड तीनों वर्गों को दिया जाता है और उनकी पॉपूलेशन की परसेंटेज के आधार पर आबंटन होता है।

श्रीमती सरवीण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगी कि जिस तरह से पेंशन सीनियोरिटी के आधार पर आती है और कम्प्यूटर में जो एक बार सीनियोरिटी आ गई उस के आधार पर ही पेंशन मिलती है। उसमें ऐसी कमेटियों की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। माननीय मंत्री जी ने कमेटी की बात कही है इसलिए मैं चाहती हूं कि इस पर विचार करें कि हाऊस अलॉटमैंट में भी वे सारे के सारे फार्म कम्प्यूटर में फीड किए जाएं। सीनियोरिटी के आधार पर ही लोगों को मकान मिले ताकि उसमें कोई राजनीति न हो। क्योंकि हमने देखा है कि जो सीनियोरिटी में दो नम्बर में होता है वह वहीं का वहीं रहता है। वह कभी मुख्य मंत्री जी के पास भागेगा, कभी विधायक के पास जाएगा और कभी डी.सी. के पास जाता है। इस तरह से उसका समय नष्ट होता है। अगर हम हाऊस अलॉटमैंट को भी पेंशन के आधार पर करें तो इसमें भी

17.03.2015/1110/जेके/एजी/2

कोई राजनीति नहीं होगी। क्योंकि यदि इसमें जिला परिषद का सदस्य, विधायक या कोई दूसरा राजनीतिक आदमी है तो इसमें अवश्य ही राजनीति होती रहेगी। जैसे कि अभी धर्मशाला में लेंड स्लाइडिंग हुई थी उन लोगों को सीनियोरिटी में घर मिला है। इस तरह की सीनियोरिटी हम रख सकते हैं। यदि कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो उसमें प्रायोरिटी दे दी जाए। मैं मंत्री जी से यह चाहूंगी कि उसको भी राजनीति से दूर रखते हुए कम्प्यूटर में ही फीड कर दिया जाए ताकि जो गरीब है उसे समय पर सुविधा मिल सके। दूसरे, जो मैक्सिमम फंड है वह एस.सी. के लिए आता है जबकि उसके लिए उतनी एप्लिकेशन्ज नहीं होती हैं और इस तरह से वह फंड लैप्स हो जाता है। अगर एस.सी. वेटिंग लिस्ट में नहीं हो तो मंत्री जी उस फंड को एस.टी. और ओ.बी.सी. की केटेगरी में डाल सकते हैं। एस.टी. के लिए भी एक अलग से फंड है जो कि पिछड़ा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि इन दोनों चीजों के बारे में आप बताएं। ओ.बी.सी. में बचा हुआ धन एस.सी. में यूज नहीं हो सकता है तो क्या उस धन को ट्रांसफर करेंगे?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या स्वयं इस विभाग का संचालन कर चुकी हैं। मैं इनके दिए गए सुझावों का स्वागत करता हूं । क्योंकि आजकल की उन्नत प्रोद्यौगिकी के समय में हर प्रकार से आगे बढ़ने के कदम हमें लेते रहना चाहिए। इस माननीय सदन को मैं इतना आश्वासन जरूर देना चाहूंगा कि सीनियोरिटी के आधार पर उचित निर्देश दिए जाएंगे ताकि किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो । जहां तक आपने percentage of population ओ.बी.सी. और एस.टी. की बात की है वह बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं कि जो अभी धन आबंटन हो रहा है उसमें एस.सी,. एस.टी. और ओ.बी.सी. को बराबर आधार पर दिया जा रहा है। कुछेक निर्देश सरकार के ऐसे भी होते हैं जो एस.सी. केटेगरी को फंड दिये जाएं उनको डाईवर्ट करें we come under certain sort of Constitutional hiccups also. इसलिए कभी-कभी इस प्रकार का डाईवर्ट

17.03.2015/1110/जेके/एजी/3

करना हमें उचित नहीं होगा, परन्तु जो आपने बात कही है वह प्वाईंट आपका बिल्कुल सही है। एस.सी. और ओ.बी.सी. का भी पूर्ण ध्यान रखा जाएगा।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

17.03.2015/1115/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1570

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में कुल 44 पद पटवारियों के सृजित हैं जिनमें से 19 पद रिक्त हैं। मेरा चुनाव क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही इंटीरियर है। जिस पटवार सर्कल में पटवारी नहीं होगा उस क्षेत्र में उस पंचायत में गांव लेवल के जितने भी विकास कार्य होते हैं वे सारे ही पैंडिंग हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे कार्य बहुत ज़रूरी होते हैं जैसे किसी का मकान जल जाए, कोई नैचुरल कैलामिटी हो जाए और बहुत सारे जो हमारे सड़कों के कार्य हैं, जो एम0एल0ए0 प्रायोरिटी की सड़कें हैं उसकी डी0पी0आर0 बनती है। वह फील्ड बुक पटवारी बनता है। पटवारियों की वजह से हमारे जो विकास के कार्य हैं, जितने भी डी0पी0आर0 बननी हैं, चाहे सड़कों की बननी है, चाहे होस्पिटल के लिए लैंड के कागज़ तैयार करने हैं, स्कूल के लिए कागज़ तैयार करने हैं या चाहे गांव के किसी छोटे से जमींदार को अपनी टी0डी0 रिपोर्ट लेनी है, पैंशन के लिए सर्टिफिकेट लेना है और बहुत सारे जो इन्कम सर्टिफिकेट वगैरह लेने हैं, ये सारे काम पटवारियों के माध्यम से होते हैं। हमारे क्षेत्र में, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई छोटा-मोटा लैंड डिस्प्यूट हो जाए तो उसे पटवारी हल कर देते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं। मेरा क्षेत्र बहुत इंटीरियर है, उस क्षेत्र में 50 परसैंट से कम पटवारी हैं। अगर उस क्षेत्र में 75 परसैंट तक पटवारी भरे जाएं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इनको भरने का मैं माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर पटवारियों के बहुत पद खाली पड़े हैं। चौपाल में भी 44 में से 19 पटवार सर्कल खाली हैं। इनके एक चौपाल तहसील है, जिसमें 14 पटवार सर्कल हैं। इसमें 6 पद खाली पड़े हैं। इनकी नेरवा तहसील है, जिसमें 13 पटवार सर्कल हैं। इसमें 5 पद खाली हैं। इनकी एक कुपवी सब-तहसील है, जिसमें 8 पटवार सर्कल हैं। इसमें 5 पद पटवारियों के खाली हैं। एक देहा सब-तहसील है, जिसमें 9 पटवार सर्कल हैं। उसमें

3पद खाली हैं। अभी हमारे पटवारियों की ट्रेनिंग चल रही है और अध्यक्ष महोदय, अभी अगस्त महीने में डेढ़ साल की ट्रेनिंग खत्म हो जायेगी और उसके बाद उनके एग्जाम होंगे। एग्जाम के बाद जो उत्तीर्ण पाये जायेंगे, उनसे उन सभी पटवार सर्कलों को भर दिया जायेगा। क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी प्रशिक्षित पटवारी

17.03.2015/1115/SS-AG/2

उपलब्ध नहीं है जिनको हम लगा सकें। निश्चित तौर पर जहां-जहां भी रिटायर्ड पटवारी थे या रिटायर्ड कानूनगो थे, उनको हमने जहां-जहां उपलब्ध हुए लगा दिया है।

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि शहर के नज़दीक और ऑफिस में बहुत सारे पटवारी लगे हुए हैं चाहे डी0सी0 ऑफिस है या कोई भी ऑफिस है वहां पटवारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। पटवारियों को अगर ऑफिस से निकाल कर फील्ड में भेज देंगे तो फील्ड की जो समस्याएं हैं जिनसे गांव के लोग जूझ रहे हैं वे काफी हल हो जायेंगी। मेरी आपसे विनती है कि जैसे डी0सी0 ऑफिस में बहुत सारे पटवारी हैं और ऑफिसिज़ में बहुत सारे पटवारी हैं, जो उनका वर्क है जिसके लिए उनको भर्ती किया गया है, अगर उनको फील्ड में लगाया जाए तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो जायेंगी।

Health & Family Welfare Minister: This is a good suggestion for action. उसके लिए हम रेशनलाइजेशन करेंगे। जहां दफ्तरों में सरप्लस पटवारी होंगे उनको निश्चित तौर पर फील्ड में भेजेंगे और इनके चुनाव क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि इनका चुनाव क्षेत्र शिमला जिला में काफी पिछड़ा हुआ चुनाव क्षेत्र है।

जारी श्रीमती के0एस0

/1120/17.03.2015केएस/जेटी/1
प्रश्न संख्याः 1570 जारी---
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी----

इनके चुनाव क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि इनका चुनाव क्षेत्र शिमला जिला में काफी पिछड़ा हुआ चुनाव क्षेत्र है।

अध्यक्षः लास्ट सप्लीमेंट्री, श्री जय राम ठाकुर।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, भले ही यह प्रश्न चौपाल विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है लेकिन माननीय मंत्री जी ने एक बात का जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश में पटवारियों के बहुत सारे पद खाली पड़े हैं और पटवारी का न होना गांव के किसान व प्रत्येक आदमी के लिए परेशानी का सबब होता है। किसी को इन्कम सर्टिफिकेट चाहिए तो वह पटवारी देगा।

Speaker: This pertains to Chopal Constituency. This is not the question for the whole State.

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि पटवारियों के बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कितने पद पूरे प्रदेश में खाली पड़े हैं ? दूसरे, मंत्री जी ने कहा कि हम पटवारियों की ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो कितने लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ? क्या जो तमाम पद खाली पड़े हैं, जो पटवारियों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनसे वे पद भरे जाएंगें क्योंकि मंत्री जी, आपने कहा कि सारे पद भर देंगें? एक तो यह आंकड़ा आ जाए और यह भी बताया जाए कि कब तक ये पद भर दिए जाएंगें?

/1120/17.03.2015केएस/जेटी/2

बहुत बड़ी कठिनाई है। हमारे विधान सभा क्षेत्रों में 25 प्रतिशत पटवारी भी उपलब्ध नहीं हैं, उनके पद खाली पड़े हैं।

अध्यक्षः वैसे यह केवल एक ही चुनाव क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न था ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि काफी पद खाली पड़े हैं और जब यह हमारी सरकार ने टेक ओवर किया था उस वक्त पटवारियों के 558 पद खाली थे । इन्होंने कहा कि डेढ़ साल की ट्रेनिंग है तब तक

कितने पद खाली हो जाएंगें? रिटायर होंगें तो 778 पद उस वक्त तक खाली हो जाएंगें, डेढ़-दो साल के पीरियड़ के अंदर। हमने प्रोसैस शुरू किया है और 778 पोस्टें पटवारियों की केबिनैट से हमने अप्रूव करवाई और उन पदों के लिए इंटरव्यू किए उसमें से 689 ही लोग जो एक्स सर्विसमैन थे, कुछ दूसरी केटैगरी के लोग थे जो उपलब्ध नहीं हुए, तो 689 पटवारी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जय राम जी कितना अच्छा होता कि आप लोग आपकी सरकार के समय में मेरे चुहार घाटी में 14 पटवार सर्कल है, दो पटवारी होते थे। गुलाब सिंह जी को पता है, हमने उस वक्त कितनी चिट्ठियां लिखी थीं लेकिन हमने ये कहा है कि अब जितने भी पटवारी ट्रेनिंग करके आएंगें, हिमाचल का कोई भी पटवार सर्कल खाली नहीं रहेगा। अभी हमने एक और फैसला लिया कि जो पटवारी और कानूनगो रिटायर हुए हैं, उनको पहले हमने कहा था कि 7 हजार रुपये प्रति महीने पटवारी को ओर कानूनगो को 10 हजार रुपये प्रति महीना देंगें। उनकी रीप्रैज़ैंटेशन आई है कि ये कम है तो हमने

/1120/17.03.2015केएस/जेटी/3

पटवारियों को 10 हजार व कानूनगो को 12 हज़ार रुपये प्रति महीना देने की बात की है। इसलिए जैसे मैंने कहा कि 558 पटवारियों के पद खाली थे, अब हिमाचल प्रदेश में पटवारियों के 461 पद ही खाली है बाकी पटवारी और कानूनगो जो रिटायर थे उनमें से उनको भरा गया है लेकिन यह प्रश्न सिर्फ क्योंकि चौपाल चुनाव क्षेत्र का था। मगर आपने जो सुझाव दिया है उसको हम इम्पलीमेंट करने की कोशिश करेंगें।

प्रश्न समाप्त।

/1120/17.03.2015केएस/जेटी/4

प्रश्न संख्या 1571

श्री हंस राजः अध्यक्ष महोदय, वनों का पौधारोपण और व्यय राशि तो समझ में आती है परन्तु बचाव के लिए राशि किस तरह खर्च की जाती है? बचाव के लिए जो बाड़ लगाई जाती है और तारें जिन खम्भों पर लगाई जाती है, वे खम्भे किन वनों से काटे जाते हैं? क्या उसके लिए विभाग परमिशन लेता है? यदि हां, तो इन बाड़ों को लगाने के लिए कितने वृक्षों को काटने की परमिशन ली गई?

वन मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे विधायक महोदय ने फरमाया कि जब पौधरोपण होता है तो उसको लगाने के लिए जो खम्भे काटे जाते हैं, उसकी परमिशन किससे ली जाती है? अध्यक्ष महोदय, दो सालों से वह प्रथा बन्द कर दी गई है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

17.3.2015/1125/jt/av/1

प्रश्न संख्या : 1571----------जारी

वन मंत्री :जारी----------

दो सालों से वह प्रथा बंद कर दी गई है क्योंकि वह खम्बे 6 महीने बाद सड़ जाते थे। उनकी तीन साल के लिए प्रोटैक्शन की जाती थी जो कि अब हमने 5साल कर दी है। अब सीमैंट का खम्बा लगता है ,बार्ब्ड वायर लगती है और इंटर-लिंक्ड चेन लगती है। जहां पोसिबल नहीं है वहां लोहे का खम्बा लगता है। अब जैसे माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि जंगलों में दरख्त काटे जाते थे और लकड़ी का मिसयूज होता था, that has been stopped.

श्री हंस राज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी स्वयं चम्बा से हैं इसलिए पांगी की तरफ भी जाते रहते हैं। अब साचपास खुलने वाला है और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो रोड के साथ ही है। आपको जंगलों में जाने की जरुरत नहीं है। आप देख सकते हैं जहां सीमैंट के खम्बों के बजाय लकड़ी के खम्बे लगे हुए हैं। मैंने माननीय सदन में इसीलिए यह मुद्दा उठाया था क्योंकि मेरे जहन में है कि अब सीमैंट के खम्बे लग रहे हैं। मगर जो लकड़ी के खम्बे लग रहे हैं उसी में अवैध वनों का कटान सम्मिलित हो जाता है। शायद आपके ध्यान में नहीं होगा या आपके पास इतनी जानकारी नहीं होगी मगर कर्मचारियों को पूर्णतया नोलैज है। शायद खम्बों के लिए पैसा भी अलॉट हुआ हो जो सीमैंट के खम्बे लगने थे। मगर वहां के फॉरैस्ट गार्ड, बी.ओज ,. आर.ओज. और यहां तक कि मैं तो डी.एफ.ओज. के बारे में भी बोलना चाहूंगा कि उनके भी जहन में है। आप इसके लिए एक जांच समिति बिठाइए कि पौधारोपण हेतु कहां-कहां के लिए कितनी-कितनी भूमि अलॉट हुई थी और कितने-कितने सीमैंट तथा लकड़ी के खम्बे लगाए गए। मैं आपको अपनी ही सतयात पंचायत का एक उदाहरण दे देता हूं। वहां पर भी एक एरिया अलॉट हुआ है। क्या मंत्री जी उसकी

जांच करवायेंगे कि अगर दो सालों में सीमैंट के खम्बे अलॉट हुए हैं और उसकी बजाय लकड़ी के खम्बे लगे हैं, तो क्या दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई

17.3.2015/1125/jt/av/2

होगी? दूसरा प्रश्न यह था कि जो विभिन्न स्थानों या विभिन्न पंचायतों के लगते क्षेत्रों में पौधारोपण हेतु जगह आईडैंटिफाई की जाती है उसके लिए स्थानीय लोगों या पंचायतों को भी पूछा जाता है या पूछा जायेगा?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य पुरानी बात कर रहे हैं। जब से यह सरकार आई है तब से लकड़ी के खम्बों को लगाने का पुराना पैटर्न चेंज कर दिया है। पुराने हो सकते हैं, मगर उनको भी अब हम चेंज करने जा रहे हैं। आपका दूसरा प्रश्न क्या था?

श्री हंस राज : मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि जो सीमैंट की बजाय लकड़ी के खम्बे लगाये गये हैं क्या उनके लिए आप कोई जांच कमेटी बिठायेंगे? इसके अतिरिक्त यह प्रश्न था कि अगर कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाया जाता है तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है। माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात होगी तो आप मुझे लिखकर भेजिए। I will enquire into the matter. There is no problem at all. (---व्यवधान---) इसकी जांच करवा देंगे।

श्री हंस राज : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी पूछा था कि पौधारोपण के लिए जो जगह आईडैंटिफाई की जाती है उसके लिए स्थानीय लोगों और वहां की पंचायतों को पूछा जाता है?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्थानीय लोगों की परमिशन लिए बिना हम कोई भी प्लांटेशन नहीं करते। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि भेड़-बकरी और पशुओं को

चराने की दिक्कत होती है। इसीलिए ग्राम सभा या कनसर्निंग गांव के लोगों अथवा प्रधान को बिना पूछे फॉरैस्ट डिपार्टमैंट कोई प्लांटेशन नहीं करता।

17.3.2015/1125/jt/av/3

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना अनुपूरक प्रश्न करने के बजाय पहले एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन को चलाने का आपको पूरा अधिकार है। आप इसके लिए अधिकृत है कि प्रदेश के सवाल में आप चुनाव क्षेत्र के सवाल को अनुपूरक प्रश्न के रूप में अलाउ कर रहे हैं। मगर जो माननीय सदस्य प्रश्न देते हैं तो उनकी भी इच्छा होती है कि हमारा प्रश्न आए। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि इन बातों----

श्री बी.जे.द्वारा जारी

17.3.2015/1130/negi/ag/1
प्रश्न संख्याः 1571-- जारी...
श्री रिखी राम कौंडल .. जारी..

मेरा निवेदन रहेगा कि तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप माननीय सदस्यों की जो इच्छा है उसका ध्यान रखें । यह मेरी व्यवस्था का प्रश्न है । अब मैं माननीय मंत्री जी से सप्लीमेन्टरी पूछना चाहूंगा.

अध्यक्ष :यह तो आपका प्रश्न भी नही है ।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि..
अध्यक्षः मैं कह रहा हूं कि यह आपका प्रश्न ही नहीं है।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष जी, मैंने पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और अब मैं सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछ रहा हूं।.....(व्यवधान)...

अध्यक्षः आप सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन मैं सभी सदस्यों को अलाऊ नहीं कर सकता कि आप एक क्वैश्चन पर ही सप्लीमेन्टरी प्रश्न बार-बार पूछें। ...(व्यवधान).. I have to see that the answer is complete, then I will stop it.
श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष जी आप पहले इसकी व्यवस्था दीजिए और उसके बाद हम सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछ लेंगे।

अध्यक्षः व्यवस्था क्या है?

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि प्रदेश में पौधारोपण पर 4175.54 लाख रूपये खर्च हुआ और वनों के बचाव पर 1003.18 लाख रूपये खर्च हुआ। क्या माननीय मंत्री जी जो पौधारोपण हुआ है उसका सरवाइवल रेट बताएंगे? दूसरा, क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि वनों के

17.3.2015/1130/negi/ag/2
आपने वनों के बचाव के लिए जो खम्बे लगाए हैं उसके लिए आपने कौन-कौन सी फर्मों को आर्डर दिए ?

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी,....(व्यवधान)..

अध्यक्ष :एक मिनट, पहले मंत्री जी को इसका उत्तर तो देने दीजिए।
वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न चुराह विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है । लेकिन श्री रिखी राम कौंडल साहब ने जो यह प्रश्न किया है कि इसका सरवाइवल रेट क्या है, इसकी जानकारी आप श्री हंस राज जी से ले लें जो इनके टेबल में पड़ा हुआ है ,हमने उसमें सारी इंफोर्मेशन दी हुई है। वैसे लगभग 80परसेन्ट तक इसका सरवाइवल रेट है।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया। सवाल है कि "वर्ष 2014-15 में वन विभाग द्वारा प्रदेश में वनों के बचाव व पौधारोपण पर कितनी धनराशि खर्च की गई?" यह कोई चुनाव क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। आपने प्रदेश में वनों के बचाव का खर्चा बताया है। आप इसका सरवाइवल रेट बताइये और यह भी बताइये कि आपने किस-किस फर्म को आर्डर दिए हैं क्योंकि यह प्रदेश का सवाल है।

इनका जो दूसरा सवाल है वह इनके चुनाव क्षेत्र से संबंधित है। आपने श्री हंस राज जी को इनके चुनाव क्षेत्र का ब्यौरा दिया है और वैसे भी वह हमें ब्यौरा देने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधायक महोदय को बताना चाहता हूं कि फोरेस्ट डिपार्टमैन्ट का सारे प्रदेश का टोटल सरवाइवल रेट 70 परसेन्ट है।
श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न किया है माननीय सदस्य, श्री हंस राज जी ने इसके "ख" भाग को ज़रा मंत्री जी आप गौर से पढ़ें। इसमें इन्होंने पूछा है कि"चुराह विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों में कहां-कहां पौधारोपण किया गया तथा कितने पौधे लगाए गए और उनका सरवाइवल प्रतिशत क्या है" ?आपने सरवाइवल रेट के बारे में जो जवाब दिया है वह केवल मात्र वर्ष 2011-12 का दिया

17.3.2015/1130/negi/ag/3

है। जबकि माननीय सदस्य ने 3 वर्ष का ब्यौरा पूछा है । इसका मतलब यह है कि आपने वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में इस विधान सभा क्षेत्र में कोई पौधारोपण नहीं किया है । एक वर्ष का यानि वर्ष 2011-12 का आपने केवल मात्र जवाब दिया है और इस वर्ष का लगभग 70-75 परसेन्ट एबरेज़ सरवाइवल रेट बताया है। बाकी आपने "ख" भाग में जो प्रश्न किया है इसका कोई जवाब नहीं दिया है । माननीय सदस्य और मान्य सदन जानना चाहता है कि तीन वर्षों में चुराह विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां, कितना-कितना पौधारोपण आपने किया, उसका खर्चा कितना आया और जो 2-3 साल शेष बचे उनका सरवाइवल रेट क्या है ? क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय विधायक, श्री रविन्द्र सिंह रवि जी कह रहे हैं कि हमने तीन सालों का ब्यौरा नहीं है। जबकि हमने 3 सालों का ब्यौरा इसमें दिया है। आप इसको पूरे विस्तार से पढ़िए, इसमें तीन वर्षों के सरवाइवल रेट का ब्यौरा दिया हुआ है जो कि 70 परसेन्ट है। जो आपने शायद देखा नहीं है।

समाप्त

अगला प्रश्न श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

17.03.2015/1135/यूके/एजी/1

प्रश्न संख्या1572 :

श्री इन्द्र सिंह :माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं तथा उनके ध्यान मे लाना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न के उत्तर में मुझे जो रिप्लाई मिली है ,वह सही नहीं है । सरकाघाट में 2 महीने तक SDM की पोस्ट खाली रही । सरकाघाट हाईपर ऐक्टिव एरिया है, आप भी जानते हैं और ये राजाओं के टाईम का ऐडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है । बड़ा पुराना सब-डिवीजन है । दो महीने लोगों को कितनी दिक्कतें हुई होंगी, उसका अन्दाजा माननीय मंत्री जी आप खुद लगा सकते हैं । अभी सोमवार से SDM वहां पर आ गया और उसने कार्य करना आरम्भ कर दिया है । इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा । लेकिन अभी भी नायब तहसीलदार, भद्रवाड़ और नायब तहसीलदार सरकाघाट की पोस्टें खाली पड़ीं हैं । उनको भरिए, साथ में मुझे यह भी आवश्वासन दीजिए कि सरकाघाट SDM की कंटिन्यूटी रहेगी और उनको ड्यूल चार्जिज़ नहीं दिया जाएगा । सरकाघाट जैसा मैने पहले भी कहा कि काफी वर्स्टाइल एरिया है । दूसरी बात, बलद्वाड़ा में जो तहसील है वहां पर तहसीलदार तो है लेकिन स्टॉफ नहीं है, सुपरिंटेंडेंट, सीनियर अस्सिस्टैं तथा रेवेन्यू वाला होता है ,पटवारी ,ये सब पोस्ट खाली है । केवल एक जूनियर अस्सिस्टैंट वहां हैं जिसके सहारे पूरी तहसील का काम चल रहा है । क्या आप इन पोस्टों को भरने का आश्वासन देंगे ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न सिर्फ□एस0डी0एम0, तहसीलदार, और नायब तहसीलदार के बारे में था न कि क्लैरिकल स्टॉफ□□के बारे में । उसका जवाब मैने विस्तृत तौर पर दे दिया है । यह ठीक है कि अभी 26.02.2015 को श्री शिव कुमार जी, HAS ऑफिसर आपके SDM पहुंच चुके हैं । उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है । इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार सरकारघाट का पद नवम्बर, 2011 से खाली था, उसको भी अब भर दिया गया है, श्री हरीश कुमार ए-श्रेणी नायब तहसीलदार उसको वहां लगा दिया गया है और उसके साथ ही आपने कहा कि भदरोटा में भी 1-1-2015 से यह पद

17.03.2015/1135/यूके/एजी/2

रिक्त चल रहा था । परन्तु 11 2015-3-को श्रीमती मीना कुमारी नायब तहसीलदार को इस पद पर तैनात कर दिया गया है । संभव है कि ये जल्दी ही ज्वाईन कर लेंगीं । जहां तक आपने दूसरे स्टॉफ की बात की है । यह ठीक है कि यदि तहसीलदार है तो उनके साथ काम करने के लिए दूसरा स्टॉफ भी चाहिए होता है । उसके लिए स्टॉफ रेश्नलाईजेशन के लिए हम नॉर्म्ज़ बना रहे हैं । उसके मुताबिक सभी स्थानों पर स्टॉफ तैनात कर दिया जायेगा । कई जगह बहुत ज्यादा लोग लगे हुए हैं और कई जगहों पर है ही नहीं । उसका रेश्नलाईजेशन करके हम स्टॉफ को भी तैनात करेंगे ।

17.03.2015/1135/यूके/एजी/3

प्रश्न संख्या- 1573
अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री बम्बर ठाकुर । (अनुपस्थित)

17.03.2015/1135/यूके/एजी/4

प्रश्न संख्या-1574
श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमें डॉक्टर नहीं है । और कब से नहीं है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई नहीं है । जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौक है ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी---

17.03.2015/1140/sls-jt-1
प्रश्न संख्या :... 1574 जारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री...जारी

जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौक है वह सुन्दरनगर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां डॉक्टर्ज़ के 2पद स्वीकृत हैं लेकिन वर्कलोड ज्यादा नहीं है। वहां

एक डॉक्टर है लेकिन एक पद खाली है। इस एक पद को भी हम दूसरी जगह, जहां वर्कलोड ज्यादा होगा, वहां देने की सोच रहे हैं।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, अभी इन्होंने बात की कि नाचन विधान सभा क्षेत्र में कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यह बात सही है। जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आपने अपग्रेड किया है, उसमें पहले 30 बैड्ज थे, उनको 30 से बढ़ाकर 50 बैड का किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब से मैं विधायक बना हूं, वहां पर 6 डॉक्टरों के पद सृजित हैं लेकिन आज भी वहां पर 3 ही डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बैड आप भले ही 50 के बदले 100 कर दें लेकिन जब तक डॉक्टर वहां पर नहीं होंगे तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिलेंगी। मैं आपसे चाहूंगा कि वहां पर खाली पड़े पदों को आप कब तक भरेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इससे पिछले सत्र में माननीय सदस्य ने पूछा था कि इसको कब अपग्रेड करेंगे? मैंने कहा था कि अपग्रेड कर दिया है। इन्होंने पूछा कि 50 बिस्तर कब लगाएंगे? मैंने कहा कि शीघ्रातिशीघ्र लगा देंगे और जब मैंने उद्घाटन किया तो माननीय सदस्य भी वहां मौजूद थे। बाकायदा पूरे 50 बिस्तरे वहां उपलब्ध करवा दिए गए हैं। यह ठीक है कि डॉक्टरों की ओवर ऑल शॉर्टेज है , इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। आपके वक्त में भी रही है और हमारे वक्त में भी है। लेकिन वर्कलोड को देख करके डॉक्टरों की भी हम रैशनालाईजेशन कर रहे हैं। यह ठीक है कि वहां 50बिस्तरों का प्रबंध किया है और

17.03.2015/1140/sls-jt-2

वहां सिविल अस्पताल बना है। जैसे ही डॉक्टर उपलब्ध होंगे, गोहर में भी और डॉक्टर लगा दिए जाएंगे।

प्रश्न समाप्त

17.03.2015/1140/sls-jt-3

प्रश्न संख्या :1575

श्री राम कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर रखी है, उसमें लिखा है कि टैंडर प्रक्रिया पूर्ण होने पर कार्य शुरू किया जाएगा। दूसरे भाग में कहा गया है कि टैंडर प्रक्रिया जारी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह टैंडर

प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जाएगी और कार्य कब तक शुरू हो जाएगा? दूसरे, जो आरo सीo सीo पाइपों की खरीद 2007 में बद्दी नगर परिषद् क्षेत्र में सीवरेज बिछाने हेतु 1,13,84,876 रुपये की राशि से की गई, वह पाइप 3वर्ष तक नहीं लगाए गए। उसमें उत्तर आया कि कोई भी अधिकारी या ठेकेदार इसके लिए जिम्मेबार नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि 3 वर्ष तक उसका कार्य क्यों शुरू नहीं किया गया और 3 वर्ष के बाद यह स्कीम चेंज हो जाती है। स्कीम चेंज होने पर कार्यकारी अधिकारी बीo बीo एनo डीo एo के आदेश आ जाते हैं कि कार्य को न किया जाए। अब उन पाइपों पर जो भारी भरकम राशि खर्च की गई है, उनको कहां उपयोग में लाया जाएगा और इस सरकारी पैसे की भरपाई कौन करेगा?

शहरी विकास मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बद्दी की सीवरेज स्कीम है, हाल ही में इसकी 33.34करोड़ रुपये की धनराशि आई है जिसकी लगभग 14½ करोड़ रुपये की पहली किश्त 27.11.2014 को बद्दी एमo सीo को अर्बन डवलपमैंट डिपार्टमैंट ने जारी कर दी है। उसके बाद 01.12.2014 को इसके टैंडर कॉल किए गए।

जारी ..श्री गर्ग जी

17/03/2015/1145/RG/JT/1

प्रश्न सं. ----1575-क्रमागत

शहरी विकास मंत्री----------क्रमागत

उसके बाद इसके टैण्डर्ज कॉल किए गए जोकि दिनांक 30-12-2014 को खुले। चार फर्म्ज ने इसमें भाग लिया ,लेकिन ये फर्म्ज इसकी eligibility criteria में ठीक नहीं उतरीं ,इसलिए ये टैण्डर्ज कैंसिल हुए और अब दुबारा से टैण्डर्ज हुए हैं जो दिनांक 7 मार्च को खुलेंगे। सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य इसकी स्क्रूटनी कर रहा है ,जो भी eligible फर्म होगी, शीघ्र ही उसको वह कार्य दे दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य का आर.सी.सी. पाईपों की खरीद के बारे में था। बी.बी.एन.डी.ए. ने एक योजना बनाई कि जो बद्दी-साई रोड है , इसके दोनों तरफ जो इण्डस्ट्रीयल वेस्ट है और जो बरसात का पानी आता है उसकी निकासी के लिए यह योजना बनाई गई। तदुपरान्त इन पाईपों की खरीद हुई। इसके

लिए पहले पांच करोड़, 69 लाख रुपये का डिपॉजिट वर्क रखा गया। उसमें डी.आई. पाइप्ज प्रपोज की गई थीं। लेकिन बाद में दुबारा प्रारूप को बदलकर सलफेट रजिस्टैंट आर.सी.सी. पाईप खरीदने का प्रावधान किया गया और उसके बाद इसके टैण्डर हुए। जिस व्यक्ति को टेण्डर दिया गया उससे इस कार्य को एक साल में पूरा करने की शर्त रखी गई थी। उसने पहले पाइपें खरीद लीं। उतने में फिर से भारत सरकार से एक पत्र आ गया कि अब Effluent Treatment Plant बनेगा, इसलिए इस काम को आप रोक दीजिए। लेकिन यह सही है कि इसमें देरी भी हुई और पाइपें अभी भी वहीं पड़ी हैं जिन पर काफी धनराशि व्यय हुई है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि इसके क्या कारण रहे हैं? हालांकि यह मामला सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग तथा बी.बी.एन.डी.ए. का था लेकिन फिर भी हम सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग से आग्रह करेंगे कि अगर इसमें किसी प्रकार की किसी ने कोताही की है ,तो इसकी जांच की जाए।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शहरी विकास मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूं क्योंकि शहरी विकास से संबंधित मामले का उत्तर तो इन्होंने ठीक दिया। माननीय उद्योग मंत्री जी यहां बैठे हैं ,बी.बी.एन.डी.ए. इनके अन्तर्गत आता है। मैं इनसे जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष : श्री राम कुमार जी, आप इनसे प्रश्न न पूछिए।

17/03/2015/1145/RG/JT/2

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो बी.बी.एन.डी.ए. की पाईपें पड़ी हुई हैं वह टैण्डर उसने ही लगाया है और उसके ही अण्डर वे आते हैं। इसलिए मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन पाईपों को अब कहां उपयोग में लाया जाएगा?

अध्यक्ष : आप माननीय शहरी विकास मंत्री जी से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी अन्य मंत्री जी से आप प्रश्न न पूछें।

श्री राम कुमार : माननीय शहरी विकास मंत्री जी ही बता दें। मैं जानना चाहता हूं कि इन पाइपों को अब कहां उपयोग में लाया जाएगा? क्योंकि ये पाईपें एक करोड़, 13 लाख रुपये की हैं और कब तक इन पाइपों का उपयोग हो जाएगा?

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो ये पाईप खरीदे गए, जिस ठेकेदार को यह कार्य आबंटित किया गया था इसमें से कुछ कार्य तो उसने वहां कर दिया था और बाकी के जो पाईप बचे हैं, अब क्योंकि सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग इसको कर रहा था ,बी.बी.एन.डी.ए. तो इसकी फण्डिंग एजेन्सी थी। इसलिए अब यह सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को देखना होगा कि प्रदेश में अगर कहीं इस तरह की पाइपों की मांग है, तो इनका वहां इस्तेमाल हो जाए क्योंकि सरकार का पैसा इनके ऊपर खर्च हुआ है।

17/03/2015/1145/RG/JT/3

प्रश्न सं. 1576

श्री विजय अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, हाल ही के माननीय मुख्य मंत्री जी के नदौन दौरे में कांगू को सब-तहसील बनाने की घोषणा की गई। उस घोषणा के पश्चात वहां से स्थानीय प्रशासन द्वारा किस-किस पटवार सर्कल को उस सब-तहसील में डाला जाएगा, यह सारी प्रपोज़ल बनाकर उपायुक्त के माध्यम से 24फरवरी को शिमला को भेजी गई है। एक तो इस प्रश्न की पूरी सूचना नहीं मिली है। हमने आर.टी.आई. में जो सूचना एकत्र की है उसके अनुसार जो सब-तहसील गलोड़ है, उससे जब हमने यह जानने की कोशिश की कि वहां से कौन-कौन सा पटवार सर्कल सब-तहसील कांगू में मिलाया जा रहा है ,तो उसकी सूचना में उन्होंने लिखा है कि 'तहसीलदार नदौन के दूरभाष के आदेशानुसार पटवार सर्कल कश्मीर और पटवार सर्कल पनियाली को कांगू सब-तहसील में मिलाए जाने की प्रपोज़ल हमने भेजी है।' जो वहां जियोग्राफीकल कंडीशन्ज हैं ,कांगू से बिल्कुल साथ में लगता हुआ जो पटवार सर्कल बढोहग है और मात्र दो किलोमीटर की दूरी पर है उसको उस सब-तहसील में शामिल करने की कोई प्रपोजल नहीं भेजी है बल्कि जो पटवार सर्कल कश्मीर वहां से 19किलोमीटर दूर है----------जारी

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

17/03/2015/1150/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 1576 क्रमागत श्री विजय अग्निहोत्री जारी----------

उसको उस सब-तहसील में शामिल करने की कोई प्रपोजल नहीं भेजी है और जो कश्मीर पटवार सर्कल 19 किलोमीटर वहां से दूर है उसकी प्रपोजल भेजी गई है कि इसको कांगू सब-तहसील में शामिल किया जाए। वहां के लोगों में बहुत रोष है और उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाकर भी सारा मामला प्रशासन के ध्यान में लाया है और कश्मीर वालों की ऐसी मांग है कि हमें गलोड़ में रहने दिया जाए। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इसका गठन होगा और आपके पास प्रपोजल आएगी तो क्या बड़ोग पटवार सर्कल को कांगू सब-तहसील में शामिल किया जाएगा या उस समय इसकी ज्योग्राफिकल कण्डीशन्ज को ध्यान में रखते हुए इसको वहां शामिल किया जाएगा? जब इस आश्य के बारे में हमने वहां प्रशासन से बात की तो उन्होंने कहा कि it is a political decision, not an administrative decision. तो क्या पॉलिटिकल लोगों के कहने से होगा कि किसको कहां रखा जाएगा? कल को ऐसा न बोल दे कि कांगू को पाकिस्तान में ही मिला दो। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या बड़ोग पटवार सर्कल को कांगू सब-तहसील में शामिल किया जाएगा या नहीं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि मुख्य मंत्री महोदय जब नदौन चुनाव क्षेत्र के दौरे पर गए थे तो उन्होंने 19 जनवरी, 2015 को जिला हमीरपुर के नदौन दौरे के दौरान कांगू में उप-तहसील खोलने की घोषणा की थी। जब मुख्य मंत्री महोदय घोषणा करते हैं तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमैंट हमें यह प्रपोजल भेजता है कि आप बनाओ कि उप-तहसील की कन्स्टीच्यूशन क्या होगी। यह ठीक है कि जब डी0सी0 से कोई प्रपोजल आई ,उसके साथ ही लोगों के रिप्रेजेंटेशन भी आए ,जैसे माननीय सदस्य ने कहा है। कोई भी तहसील या सब-तहसील लोगों की सुविधा के लिए खोली जाती है ताकि प्रशासन जनता के नजदीक रहे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो वहां से प्रपोजल आई थी, उसको हमने डी0सी0 को फिर वापिस भेजा है कि आप लोगों की और जो पब्लिक

17/03/2015/1150/MS/AG/2

रिप्रेंटेटिव हैं या पंचायतों के लोग हैं, उनको क्या सुविधा किस पटवार सर्कल में रहती है ,पता करो। जब कांगू सब-तहसील बनेगी तो ऐसा न हो कि उसको सब-तहसील बनाकर लोगों को परेशानी पैदा हो। ऐसा विभाग कभी नहीं करेगा। जैसे ही जिलाधीश से दुबारा हमारे पास प्रपोजल आएगी, केबिनेट में ले जाने से पहले हम फिर भी देखेंगे कि लोगों की सुविधा के मुताबिक यह प्रपोजल आई है या नहीं। अभी इसकी केबिनेट से एप्रूवल नहीं हुई है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय ,माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन तो दिया है। मैं यही कहने वाला था कि मेरे चुनाव क्षेत्र में भी जो पटवार सर्कल हमीरपुर से 10 किलोमीटर दूर थे, उनको नदौन तहसील से जोड़ दिया गया है जोकि 24 किलोमीटर दूर है और बमसन तहसील एट टौणीदेवी वहां नायब तहसीलदार तो पहले ही नहीं था। अब आपने एक तहसीलदार वहां लगाया हुआ था। माननीय मुख्य मंत्री जी का वहां दौरा हुआ और जिस दिन वहां भवन का शिलान्यास हुआ उसी दिन वह तहसीलदार भी ट्रांसफर हो गया। अब आप हमीरपुर से बार-बार तहसीलदार डप्यूट कर रहे हैं जबकि यह सबसे बड़ी तहसील है और सबसे ज्यादा पटवार सर्कल उसमें है। क्या माननीय मंत्री महोदय केवल कांगू सब-तहसील के लिए ही नहीं अपितु हमीरपुर जिले में सारी तहसीलों में एक प्रयास करेंगे कि जो सब-तहसील नजदीक पड़ती है, उसके साथ पटवार सर्कल को जोड़ा जाए ताकि लोगों को असुविधा न हो। क्योंकि आपका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को सुविधा हो और लोगों को घर के नजदीक प्रशासन मिले। हम पैसे का मल्टीप्लाई करते जाएं, बोझ भी प्रदेश पर पड़े और न्याय घर से दूर होता जाए, तो क्या आप सभी जिलों की तहसीलों की रि-स्ट्रक्चरिंग करेंगे?

Health & Family Welfare Minister: Speaker, Sir, I have already mentioned that these administrative units are opened for the convenience of the people. I don't know about the Toni Devi Tehsil, which Patwar Circle has been included which is causing inconvenience to the people. If there is a representation, definitely, the Government will look into it. Whenever that

Kangu Sub-Tehsil would be opened, we will take a rational decision as per the provisions of the Land Records Manual. We have received representations from the people of Barog for including that particular area which is being examined.

So far as the posting of Tehsildar at Toni Devi is concerned, we have already posted a Tehsildar at Tehsil Toni Devi. Definitely, if there is a representation from the people, we will take that representation into consideration. These administrative units are opened for the convenience of the people.

अगले वक्ता श्री जे0के0 द्वारा------

17.03.2015/1155/जेके/एजी/1
प्रश्न संख्याः 1576ः----जारी----

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के दो भाग थे। जो मैंने कहा नादौन के साथ दूर जोड़ दिए वह नारा का एरिया है जो ग्लोड़ सब तहसील के साथ था , उनको उधर जोड़ा जाए। टौणी देवी, जो तहसील बमसन एट टौणी देवी है, वह अलग जगह है। वहां तो मैंने कहा कि नायब तहसीलदार पहले से ही नहीं था और तहसीलदार भी बदल दिया। अगर आपने तहसीलदार लगा दिया तो अच्छी बात है। वहां पर नायब तहसीलदार भी लगा दीजिए। लेकिन नारा वाली रीप्रैजैंटेशन आपके ऑफिस में है। रेवन्यू डिपार्टमैंट ने सब जगह रीप्रैज़ैंट किया है कि हमें हमीरपुर 10 किलोमीटर पड़ता है और नादौन 24 किलोमीटर पड़ता है। इस पर आप विचार करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने कह दिया है कि जहां तक इन्होंने टौणी देवी की बात की है कि कौन-कौन पटवार सर्कल उसमें जोड़े हैं ,ये सूचना अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर आप इसके बारे में लिख करके देंगे तब हम इस पर विचार कर लेंगे।

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, बमसन टौणी देवी तहसील में तहसीलदार नहीं था उसमें नायब तहसीलदार भी नहीं था। वहां पटवार सर्कल का झगड़ा नहीं है। तहसील हमीरपुर के जो पटवार सर्कल थे ,उनको नादौन से जोड़ दिया है। उनको

फासला दूर हुआ है। दो अलग-अलग है और आपको रीप्रैज़ैंटेशन आई हुई है, रैजोल्यूशन्ज़ आए हुए हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यदि रीप्रैज़ैंटेशन आई हुई है तो definitely we will take a rational view keeping in view the representation and convenience of the people. हम यहां पर लोगों की सुविधा के लिए है न कि लोगों को असुविधा देने के लिए है। निश्चित तौर पर यदि आप लिख कर देंगे तो अवश्य फैसला करेंगे।

17.03.2015/1155/जेके/एजी/2

प्रश्न संख्याः 1577

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसमें शुरू में ही मंत्री जी ने जी, हाँ कहा है। परन्तु मंत्री महोदय ने "क"-भाग के उत्तर में 15 मार्च, 2012 की अधिसूचना का हवाला देते हुए परिवार की परिभाषा का उल्लेख किया है जिसके अन्तर्गत पंचायतों और प्रधानों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र में जो आपके परफोरमे के साथ संलग्न है उसमें जो परिभाषा दी है ,उसमें कहा है परिवार से तात्पर्य पति/पत्नी,व्यस्क/अव्यस्क, पुत्र अविवाहित पुत्रियां चाहे वे पंचायत परिवार रजिस्टर में अलग भी दर्शाए गए हों, परिवार की परिधि में आएंगे, का हवाला देकर मंत्री जी ने अपने द्वारा दिया गया आश्वासन मेरे अनुपूरक प्रश्न से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया है। क्या यह सत्य नहीं है कि मंत्री जी ने गत् बजट सत्र में जब मैंने परिवार के सन्दर्भ में एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था, मैंने कहा था कि जो परिवार रजिस्टर में अलग है और चुल्हा टैक्स भी अलग देते हैं उनको क्लब किया जाता है? आपने यह कहा था कि अगर ऐसा किया जाता है तो यह न्यायसंगत नहीं है मैं तुरन्त पत्र लिख कर इस गलती का सुधार करवाऊंगा। सुधार के बजाय आपने उसके बाद परफोरमा में भी छाप दिया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो परिवार की परिभाषा आपने उस वक्त की थी ,उस आश्वासन की पूर्ति आप कब करेंगे?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले सत्र में यह प्रश्न आया था। जो पर्टिकुलर केस इन्होंने दिया सरला देवी का जो रोशन लाल के साथ रह रही है और तीन दूसरे पुत्रों का भी हिस्सा लिखा गया, सचमुच में वह एक solitary case of its sort है। मैं समझता हूं जो आपने उसमें बिन्दू उठाए हैं वे न्यायसंगत है। ऐसे सोलिटरी केसिज में डेफिनेटली हम निर्देश देंगे कि दोबारा कभी ऐसा न हो। जहां तक प्रश्न आता है हमारे अभी के सन्दर्भ में, यह जो आपने एक

17.03.2015/1155/जेके/एजी/3

फुट नोट दिया है कि really speaking this relates to an unmarried son. और अविवाहित पुत्र तो न्यायसंगत ही होगा।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

17.03.2015/1200/SS-JT/1

प्रश्न संख्याः 1577 क्रमागत

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री क्रमागतः

और अन-मैरिड सन तो न्यायसंगत ही होगा अगर वह परिवार के रजिस्टर में होगा या पंचायत भी उसको बताती है तो परिवार की आय में जोड़ा ही जायेगा। परन्तु जहां तक विवाहित पुत्रों का ताल्लुक है they should never be included in the income packet. रिअलि स्पिकिंग जो सरकार ने फैसला दिया था और 35 हजार सीमा की गई थी वह इसी आश्य से की गई थी कि ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को फायदा मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को ऐसा फीडबैक भी आया है, किसी की शिकायत नहीं आई, परन्तु जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है about this particular line to be taken out, इसके बारे में बड़ा गहन चिन्तन हो रहा है। माननीय सदन में मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि इसके बारे में स्पष्ट निर्देश दिए जायेंगे।

प्रश्नकाल समाप्त

17.03.2015/1200/SS-JT/2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब कागज़ात सभापटल पर रखे जायेंगे। अब माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री, जिन्हें माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्राधिकृत किया गया है, कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगी।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूंः-

(i) हिमाचल प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2014-15; और
(ii) हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14.

अध्यक्षः अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम अधिनियम,1979 की धारा 23 (6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर की 33वीं वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

17.03.2015/1200/SS-JT/3

अध्यक्षः माननीय धूमल जी आप कुछ बोलना चाहेंगे।
प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज के समाचार पत्रों में छपा है - "हिमाचल में स्वाइन फ्लू से तीन और की मौत" "106 दिन में 18 लोग बने शिकार"। यह लगातार स्वाइन फ्लू की घटनाएं घट रही हैं। मरीज होस्पिटल में आते हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर एक वक्तव्य दें कि कुल कितने मरीज आए और उपचार के लिए क्या-क्या सुविधाएं हमारे होस्पिटल्ज़ में उपलब्ध हैं। किस-किस क्षेत्र में इसकी ज्यादा सम्भावनाएं हैं ताकि लोग उसका ध्यान रखें। जो-जो precautions लेनी चाहिएं

उसके बारे में बताएं। हमने समाचार-पत्रों में आपका और अधिकारियों का भी फोटोग्राफ देखा कि मास्क लगाकर होस्पिटल में गए। लेकिन ये आम नागरिक को उपलब्ध नहीं हैं। हम यह भी मानते हैं कि यह समस्या सारे देश की है। जैसी इसकी व्याख्या दी जा रही है, यह कहा जा रहा है कि सर्दी के मौसम के कारण इसके फैलने की सम्भावनाएं ज्यादा रहती हैं। मौसम बदलेगा तो कुछ राहत मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ अंदाजे लगते हैं। मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इस पर विस्तृत जानकारी इस सदन को दें ताकि लोगों को पता लग सके कि स्थिति प्रदेश की क्या है। कौन-कौन से होस्पिटल इस प्रदेश में हैं जहां इसके इलाज का प्रबन्ध किया गया है। इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं ताकि अगर ऐसी घटना कहीं होती है तो वे वहां इलाज करवा सकें। मैंने इसमें देखा कि आज एक डैथ सी0एम0सी0, लुधियाना की रैफर की गई है तो लोग घबराहट में प्रदेश से इधर-उधर बाहर जा रहे हैं। हमारे यहां भी दो मेडिकल कॉलेजिज़ हैं और अच्छे जोनल होस्पिटल्ज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल्ज़ हैं। कहां-कहां ये सुविधाएं उपलब्ध हैं और कहां लोगों को इस रोग से राहत मिल सकती है। मैं इस पर इनकी ओर से एक वक्तव्य चाहूंगा।

Speaker: Hon'ble Minister, are you in a position to reply?

जारी श्रीमती के0एस0

/1205/17.03.2015केएस/जेटी/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे देता हूं, वैसे लेटैस्ट जानकारी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है मगर माननीय विपक्ष के नेता प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने जो मामला उठाया है, यह सही मायनों में बहुत ही गम्भीर मसला है। आज देश में लगभग साढ़े पन्द्रह सौ व्यक्तियों की स्वाईन फ्लू से मृत्यु हो चुकी है और आज की तारीख में गुजरात इसमें सबसे आगे हैं। पहले राजस्थान आगे था, अब गुजरात मृत्यु दर में आगे हो गया है और राजस्थान दूसरे नम्बर पर चला गया है। हिमाचल प्रदेश भी इस बीमारी से अछूता नहीं रहा है। कल तक हिमाचल प्रदेश में इससे 18व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। हम समय-समय पर इसका रीव्यू करते रहे और सारी सूचनाएं उपलब्ध करते रहे और हमने प्रदेश के अन्दर सबसे ज्यादा

अभियान चलाया क्योंकि स्वाईन प्लू और जो कॉमन कोल्ड है, उसमें बहुत कम अन्तर है। लोग समझते हैं कि जुकाम है या बुखार हो गया है वे क्रोसिन की गोली लेते है, बुखार उतर जाता है। स्वाईन प्लू से यहां पर 18 लोगों की मृत्यु हुई है और जो तीन व्यक्ति अभी दो दिनों में मरे हैं वे क्रिटिकल स्टेज में हॉस्पिटल में आए। पहली मृत्यु हुई थी, सोलन के 37 साल के लड़के की, वह यहां सुबह हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, उसका सैम्पल लिया गया, सैम्पल के टैस्ट आने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह ये जो तीन व्यक्ति अभी मरे हैं, ये भी दिन में दाखिल हुए और रात को या दूसरे दिन सुबह उनकी मृत्यु हो गई है। यह बहुत ही गम्भीर मसला है। स्वास्थ्य विभाग इसके बारे में पूरी तरह सतर्क है। सभी डॉक्टरों की, पैरा मैडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द कर दी है और ब्लॉक लैवल तथा पी.एच्.सी. लैवल पर सैंसिटाईजेशन अभियान हमने प्रदेश के अंदर शुरू किया है और लोगों को

/1205/17.03.2015केएस/जेटी/2

इसके बारे में पैम्फलैट निकाले हैं। पंचायतों तक पैम्फलैट पहुंचाए हैं और उसमें सभी आशा वर्कर्ज़ ,आंगनबाड़ी वर्कर्ज़ ,मेल और फीमेल हैल्थ वर्कर्ज़, मैडिकल ऑफिसर्ज़, पैरा मैडिक्स सब इसमें लगा दिए हैं। जहां तक सुविधा की बात है अध्यक्ष महोदय, हमारे दो मैडिकल कॉलेज हैं और दोनों में ही इस सैम्पल को टैस्ट करने की मशीन उपलब्ध है। इसके लिए हमने आइसोलेशन वार्ड में बिस्तरों की संख्या भी बढ़ा दी है। पहले चार थे, फिर आठ किए, फिर बारह कर दिए। लगभग 32-33 लोग ठीक हो कर घर भी चले गए। जब वे घर चले गए तो लोगों ने डर के मारे उनको अलग कमरे में बन्द कर दिया, वहां पर अलग से उनको खाना देना शुरू कर दिया, उनको आइसोलेशन में कर दिया । फिर हमने कहा कि जब ये ठीक हो गए हैं तो इनको आइसोलेट करने की कोई बात नहीं है। हमारा बी.एम.ओ. उनके घर गया, उसने पूछा कि मरीज कहां है तो लोग कहने लगे कि कमरे में बन्द है । बी.एम.ओ. ने लोगों को जागरूक करने के लिए कहा कि यह मरीज चाय बनाएगा और मैं इसके हाथ की चाय पीऊंगा। उसने चाय बनाई, डॉक्टर ने चाय पी फिर घर वालों को पता लगा कि यह तो बिल्कुल ठीक है। कांगड़ा जिला में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा हुआ है और पूरे प्रदेश में हर जिले से दो-चार मरीज इसके आए हैं। हमने अभी पिछले दो-तीन दिन पहले तक लगभग 280 सैम्पल टैस्ट किए उसमें से लगभग 48 या 49 सैम्पल पॉज़िटिव पाए गए बाकी सब ठीक हो कर चले गए हैं। 18 लोगों की मृत्यु हुई

है इसका हमें बहुत दुख है और स्वास्थ्य विभाग हर सतर्कता बरत रहा है । डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज कांगड़ा में सैम्पल टैस्ट करने की नई मशीन आई है । एक ऐसी ही मशीन हमारे आई.जी.एम.सी. में है । एक मशीन मण्डी में हैं मुझे डॉक्टरों ने

/1205/17.03.2015केएस/जेटी/3

बताया है ,माईक्रोबायोलोजिस्ट ने बताया है कि इसमें अगर हम कुछ और इक्विपमैंट्स डाल दें तो वह मशीन भी सैम्पल टैस्ट कर सकती है। मैंने विभाग को आदेश दिए हैं कि जितनी उस मशीन में जरूरत है, इक्विपमैंट्स खरीदे जाएं ताकि जोनल हॉस्पिटल मण्डी में भी ये टैस्ट करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। निश्चित तौर पर हमें इस बात का दुख है कि 18 लोगों की जानें हिमाचल प्रदेश में गई है और स्वास्थ्य विभाग इसमें सतर्कता बरत रहा है । हमारे डॉक्ट्र्ज़ सभी सरकारी स्कूलों में जाकर प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज़ के नजदीक जो सीनियर सैकंडरी या हाई स्कूल था वहां गए, सैंसिटाईजेशन किया, बच्चों को बताया कि घर में भी यह बात करें और इसके बारे में हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रचार और प्रसार अभियान शुरू किया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

17.3.2015/1210/ag/av/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी ----------

पूरे हिमाचल प्रदेश में शुरु किया है और काफी हद तक यह कम हुआ है। मेरे ख्याल में इसमें ठंड और गर्मी का कोई ज्याद असर नहीं होता। अगर ठंड की बात होती है तो गुजरात में तो काफी गर्मी है, फिर वहां क्यों हिन्दुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मौतें हुईं। राजस्थान भी गर्म इलाका है, वहां भी काफी लोग प्रभावित हुए हैं। इस पर भी शायद एक रिसर्च करने की जरुरत है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग निश्चित तौर पर पूरी सतर्कता बरत रहा है। मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

समाप्त

17.3.2015/1210/ag/av/2

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2014-15), लोक लेखा समिति के कुछ प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति (वर्ष 2014-15) के कुछ प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का **88वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **89वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 38वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **90वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 272वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है ।

17.3.2015/1210/ag/av/3

अध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति (वर्ष 2014-15), मानव विकास समिति का 11वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग से सम्बन्धित

आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति (वर्ष 2014-15) का 11वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

17.3.2015/1210/ag/av/4

नियम- 62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री महेश्वर सिंह जी नियम-62 के तहत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि आपकी अनुमति से इस माननीय सदन में अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करुं, मैं कुछ तथ्य माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा।

यह मठ क्षेत्र कुल्लू शहर के वार्ड नम्बर 4 में पड़ता है। जैसे इसका नाम है यह सन्यासी महन्तों का मठ था। अब कुछ यह परिवारों मे विभाजित हो गया और कुछ बेचा गया जिसके फलस्वरूप आज यह 95 घरों की एक पूरा बस्ती बन चुकी है। इस बस्ती में न तो नालियों की पूरी व्यवस्था थी और न ही सिवरेज की सही व्यवस्था थी। जहां-तहां लोगों ने नालियां बना दी। इस बस्ती को दो सड़कों से भी जोड़ा गया जो कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की गई है। वहां एक सड़क बस्ती के ऊपर तथा दूसरी सड़क बस्ती के नीचे की तरफ से जाती है। अब ऐसी स्थिति में वहां पहाड़ में थोड़ा-थोड़ा पानी रिसता रहा और जैसे ही बारिश बढ़ी उससे रिसाव और ज्यादा हो गया। इसके बीच में कुछ लोगों ने मठ को भी एक लिंक रोड से जोड़ने की व्यवस्था की है। उस रोड के लिए दबाव डाला, पैसे का प्रबंध किया और लोक निर्माण विभाग से काम शुरु करवा दिया। मैंने उस वक्त भी विरोध किया था कि इस सड़क के बनने

से सारा मठ नीचे आ जायेगा। जब वहां पर पहले से ही दो सड़कें हैं तो तीसरी का निर्माण मत कीजिए। वही हुआ, जब 8 तारीख की रात्री को अधिक वर्षा हुई तो सबसे पहले वहां पर मौजूद प्रोटैक्शन वॉल सारी-की-सारी नीचे गिर गई। इसके अतिरिक्त उसके ऊपर जो सिवरेज लाइन बिछाई गई थी वह भी टूट गई। उसके साथ-साथ सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई। इन्नर अखाड़ा बाजार जो कि इस बस्ती से काफी नीचे है वहां चार घरों में मलवा और सिवरेज का पानी घुस गया और वे घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि घर बचाने के लिए लोगों ने तथा नगर

17.3.2015/1210/ag/av/5

परिषद् ने तिरपाल दिए। आज वहां रंग-बिरंगे तिरपालों से ढकी एक छावनी जैसा दृश्य नजर आता है। ऐसी भयानक स्थिति उत्पन्न हुई है कि अगर समय रहते काम नहीं किया तो सारा नीचे आ जायेगा। प्रभावित परिवार चार हैं और चार परिवारों में जो क्षति हुई है वह आपसे (मंत्री जी को कहा।) आयेगा कि कितनी हुई है और कितनी नहीं। (---व्यवधान---) नहीं, सर। मैं आगे बात कह रहा हूं, जिसकी सूचना नहीं है वह तो जब आपका जवाब आयेगा तब पता लगेगा। मगर ऐस्टिमेट बना है और ऐस्टिमेट काफी ज्यादा अमाउंट का बना है-------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

17.3.2015/1215/negi/ag/1
श्री महेश्वर सिंह .. जारी..

लेकिन ऐस्टीमेट बना है और ऐस्टीमेट काफी बड़ी एमॉउन्ट्स के बने हैं। लोक निर्माण ने प्रोटेक्शन वॉल का 50 लाख का ऐस्टीमेट बनाया है और नाली बनाने का 25 लाख का ऐस्टीमेट बनया है। नगर परिषद् ने वहां ड्रेनेज़ के लिए 55 लाख रूपये का ऐस्टीमेट बनाया है। आई.पी.एच. विभाग ने अभी टेम्परेरी काम किया है क्योंकि उन्होंने 1.35 लाख रूपये खर्च करके टेम्परेरी पाइपें खरीदी हैं और चालू कर दिया है और लिखा है अस्थायी तौर पर। इसपर कुल लागत धन की 1.45करोड़ रूपये की आएगी और जो पैसा लोगों को देना है वो तो राजस्व मैनुअल के अनुसार दे देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, जो वहां स्थिति उत्पन्न हुई है अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उसकी ओर ध्यान आकर्षित करता हूं कि "दिनांक 8 मार्च, 2015 की रात्रि

को अधिक वर्षा होने के कारण कुल्लू नगर के वार्ड नम्बर, 4 के अन्तर्गत भीषण भू-स्खलन से अनेकों मकान व सड़क को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं"।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी आपने इसका उत्तर तो दे दिया है लेकिन अगर आपके पास और एडिशनल इंफोर्मेशन है तो दे दीजिए।

17.3.2015/1215/negi/ag/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया है । इन्होंने इसका कारण दो सड़कों और जो तीसरी सड़क बन गई है उससे पानी के रिसाव बताया है । ये सड़कें कब बनी है। क्योंकि मैंने तो वही इंफोर्मेशन दी जो माननीय सदस्य ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पूछी थी। यह ठीक है, अध्यक्ष महोदय कि प्रदेश में भारी बारिश और बर्फ के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है । निजी सम्पति को भी नुकसान हुआ है और सरकारी सम्पति को भी काफी नुकसान पहुंचा है ।

इसी तरह जिला कुल्लू में दिनांक 8 मार्च, 2015 को भारी बारिश होने के कारण कुल्लू नगर के वार्ड नम्बर-4 ,इन्होंने जिस मट का नाम बताया है, यह बात ठीक भी है, क्योंकि मैं भी उस क्षेत्र से परिचित हूं। रात्रि में अधिक वर्षा व भू-स्खलन होने के कारण सरकारी तथा निजी सम्पति को काफी नुकसान हुआ है। इस भारी वर्षा के कारण चार घरों को नुकसान हुआ है और इन चार परिवारों को तुरन्त राहत राशि के रूप में उसी दिन 5-5 हजार रूपये स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं। बाकी कुल कितना नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जा रहा है । जो चार प्रभावित परिवार थे वे हैंः-

1. श्री सुदर्शन पुत्र श्री रघुनाथ दास, इनर आखाड़ा बाजार,
2. श्री घनश्याम पुत्र श्री रघुनाथ दास, इनर आखाड़ा बाजार,
3. श्री योगेश पुत्र श्री हरि कृष्ण, इनर आखाड़ा बाजार और
4. श्री निखिल पुत्र कुमारी सुचि व श्रीमती सुमन पत्नी श्री बलदेव कृष्ण, इनर आखाड़ा बाजार, कुल्लू।

इनको 20,000 रूपये की राशि मौके पर उपलब्ध करवा दी गई है ।

17.3.2015/1215/negi/ag/3

इसके अलावा निजी सम्पति को जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन SDO, (Civil) कुल्लू के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो सरकारी सम्पति को काफी नुकसान हुआ है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः-

सड़कों का नुकसान- भारी बारिश के कारण कब्रिस्तान से ले करके मट (राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुलतानपुर) की ओर जाने वाली वाहन योग्य सड़क जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हुई है तथा मलबा भी सड़क पर आ गया था तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा यह मलबा मजदूरों से उठवाया जा रहा है क्योंकि जे0सी0बी0 को मौका पर पहुंचाना संभव नहीं है। सड़क की मुरम्मत के लिए अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल नम्बर-II कुल्लू द्वारा 15.00 लाख रूपये का प्राक्कलन तैयार किया गया है। भविष्य में होने वाले किसी भी सम्भावित भू-स्खलन को रोकने के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग को प्राक्कलन तैयार करने के आदेश दिए गए हैं।

इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि इस बारिश से सारे प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है और लगभग 59 लोगों की बारिश और बर्फ से जानें गई है।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

17.03.2015/1/220यूके/जेटी/1
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री---जारी---

59लोगों की बारिश और बर्फबारी से जानें गई हैं और 1380 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं । लाईव स्टॉक 963 प्रभावित हुए हैं । रोड वगैरहा का 497.13 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है ।IPH स्कीम को उस वक्त 4 3.21करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

इलैक्ट्रिसिटी को भी बहुत नुकसान हुआ है, 41 करोड़ का इनका नुकसान हुआ है । और amount released so far to the Deputy Commissioner, PWD, IPH जो है, 141 करोड़ रुपए का हमने कर दिया है और भारत सरकार को मैंमोरैंडम भी 832 करोड़ रुपए का भेज दिया गया है । भारत सरकार से अभी कोई ज्यादा पैसा उपलब्ध नहीं हुआ, उनकी एक स्टेट की टीम भी आ गयी थी । जो मैने कहा कि पिछली बरसात से लेकर जो नुकसान हुआ है । Total amount provided to DC, Kullu so far - 6.17करोड़ रुपये जिला कुल्लू डी0सी0 को दे दिया गया है । इसी तरह से PWD को 32 करोड़ रुपए IPH को 16.95 करोड़, स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को 7 करोड़, ऐग्रीकल्चर को एक करोड़ रुपए हमने उपलब्ध करवा दिए हैं ।

इसी तरीके से अध्यक्ष महोदय, अभी बेमौसमी बरसात की वजह से तथा बर्फ पड़ने की वजह से जैसे जय राम जी ने कहा कि अब की बार सेब के पेड़ कई जगहों पर गिर गए, फसलों को नुकसान हुआ है । हमने जिलाधीशों को कहा है कि जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को दें । हमारी कोशिश होगी, जो हमारे पास सीमित साधन है,उसके मुताबिक हम लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही ऐडिश्नल फंड की भी यदि कुल्लू जिला को जरुरत पड़ी तो देंगे और दूसरे जिलों को भी जहां से भी नुकसान की रिपोर्ट आयेगी, उन जिलों के जिलाधीशों को हम पैसा उपलब्ध करवा देंगे ।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, वह पूरे जिले का उत्तर दे दिया है । इससे अनेकों प्रश्न पैदा होंगे । लेकिन मेरा

17.03.2015/1/220यूके/जेटी/2

ध्यानाकषर्ण प्रस्ताव तो केवल मट तक सीमित है तो उसी के संदर्भ मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा । आपने कहा कि लोक निर्माण विभाग को स्थायी डंगा बनाने के लिए प्राक्कलन तैयार करने को कह दिया है । इसी प्रकार आपने सीवरेज विभाग को भी कहा कि वे भी प्राक्कलन तैयार करे । नगर परिषद भी बीच में हैं । ये तीन एजेंसियां वहां पर हैं और तीनों ने जो प्राक्कलन तैयार किए उसके अनुसार 1.45 करोड़ रुपए की आवश्यकता है । जो आपने कहा कि हाल ही में बर्फबारी और वर्षा से क्षति हुई । उसके लिए डी0सी0 साहब को 3.92 करोड़ रुपए दिए गए । इस कार्य हेतु, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए । अब ये 3. 92करोड़

रुपए जिलाधीश को पूरे जिले के लिए है और यहां का प्राक्कलन 1.45 करोड़ रुपए का है । तो क्या जिलाधीश के पास जो बचा हुआ है उसके देने के बाद पूर्ति नहीं होगी तो जैसा मंत्री महोदय ने यहां पर कहा, क्या उसका प्रबन्ध सरकार करेगी ? ताकि भविष्य में यहां और क्षति न हो । जहां तक आपने 4 लोगों की बात कही है, वैसे तो क्षति वहां भी करोड़ों रूपए की है । लेकिन राजस्व मैनुअल अनुसार जो मिलना है, उसके मुताबिक 2.83 लाख रुपए बनता है । वह तो स्वाभाविक रूप से जिलाधीश दे पाएंगे । लेकिन यह पूरी भारी वर्षा में हुई क्षति और उसका विवरण जो आपने अभी रखा है ,क्या ये 3.92 करोड़ रुपए में जिलाधीश महोदय सब कुछ कर पाएंगे या आप अतिरिक्त धनराशि देंगे ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः ऐसा है जिलाधीश, कुल्लू को 6.17 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं और जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास जो फंड उपलब्ध है बाकी नुकसान PWD का है उसका ऐस्टिमेट PWD वाले अपने तौर पर तैयार करेंगे । उनकी ड्यूटी है यदि कोई सड़क टूटी है, उसको रेस्टोर करेंगे । सीवरेज की पाईप लाईन को यदि कोई नुकसान हुआ है तो IPH डिपार्टमैंट और अरबन डवेलपमैंट डिपार्टमैंट उसको देखेगा । उसके साथ-साथ जो भी whatever is the gap of funds with the concerned departments for specific works, we will try to find resources to meet this gap. यह मैं बताना चाहता हूं ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

17.03.2015/1225/sls-jt-1
माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री... जारी

इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो स्वाईन फ्लू की बात हुई थी, मैंने विभाग को कहा था कि लेटैस्ट इंफार्मेशन क्या है ,वह बताई जाए। अभी मुझे बताते हुए दुःख हो रहा है कि अभी तक प्रदेश में स्वाईन फ्लू के कारण 18नहीं बल्कि 20 मृत्यु हो चुकी हैं और आज तक हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वाईन फ्लू के 302टैस्ट दोनों मैडीकल कॉलेज के अंदर किए गए। उनमें से 79 सैंपल पॉजिटिव पाए गए जिनमें अभी तक मृत्यु भी हुई हैं। कल रात को ही दो मृत्यु की और सूचना मिली है। इसके अलावा स्वाईन फ्लू की वजह से IGMC में 13 लोगों की मृत्यु हुई और

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज कांगड़ा में 7 लोग मरे। कितनी मृत्यु किस जिले में हुई हैं, यह भी सूचना मैं सदन में देना चाहता हूं। जिला कांगड़ा में 6 मृत्यु, जिला बिलासपुर में 1मृत्यु, जिला चम्बा में 1 मृत्यु, जिला कुल्लू में 1 मृत्यु, शिमला जिले में 7 मृत्यु, सिरमौर जिले में 1 मृत्यु तथा 3 मृत्यु सोलन जिले में हुई हैं। स्वाईन फ्लू के 50 मरीजों का इलाज करके स्वास्थ्य विभाग ने उनको घर भेज दिया है। यह अभी तक की लेटैस्ट सूचना है।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवादी हूं कि इन्होंने लेटैस्ट सूचना दे दी है। आपने पहले भी अपने उत्तर में कहा कि डॉक्टर ने मरीज के घर जाकर उसके हाथ की बनी चाय पी। लेकिन आज के समाचार-पत्र में छपा है - डॉक्टर साहब भी डर रहे हैं स्वाईन फ्लू से। यह IGMC Shimla की ख़बर है। जहां स्वाईन फ्लू टैस्ट होता है, उसके साथ के कमरे में भी लोग बैठना पसंद नहीं कर रह हैं। वहां ताला लगा हुआ है। समाचार-पत्र में फोटोग्रॉफ है, आप देख लें। डॉक्टरों से अगर इस तरह का मैसेज जाए तो ठीक नहीं है। डॉक्टर ही अगर डर रहे हैं तो घर वालों को आइसोलेशन में रखने का क्या औचित्य है? ऐसा एक मामला आपने बताया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें भी आप ध्यान दें। इससे साईक्लोजिकली बड़ा मैसेज जाता है।

17.03.2015/1225/sls-jt-2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो डॉक्टर स्वाईन फ्लू के मरीजों को देख रहे हैं ,ट्रीटमैंट कर रहे हैं उनको हमने सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। अस्पताल में हमने सारे स्टॉफ को मुँह ढाँपने के लिए मास्क दिए हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी डॉक्टरों के साथ अस्पताल में गया था और मरीजों से भी मिला। I am a layman. लेकिन डॉक्टरों ने मुझे बताया है कि केवल एक मीटर की परिधि के अंदर ही वह जिवाणु इफैक्ट कर सकता है। अगर एक मीटर से बाहर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उस पर उसका कोई इफैक्ट नहीं होता है। जैसे वह मरीज कहीं अपना हाथ रखता है, उस हाथ की जगह किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ जाएगा तो जिवाणु उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। इसलिए किसी को इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का कोई डॉक्टर या पैरा-मैडिक्स इससे अफैक्टिड नहीं हुआ है और कोई भी ऐसा पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : माननीय मंत्री जी ने सही कहा, जैसा इनको बताया गया कि एक मीटर के दायरे में स्वाईन फ्लू का जिवाणु अपना प्रभाव रखता है। हमने जब पहले प्रश्न किया था तब भी पूछा था कि आप जब डॉक्टर्ज़ के साथ गए, उस समय जो मास्क आपने पहना था, वह डॉक्टर्ज़ को उपलब्ध हो रहा है लेकिन आप आदमी को वह मास्क उपलब्ध नहीं हो रहा है। एक तो सावधानी के तौर पर इसकी स्पलाई ऐन्श्योर हो, दूसरे, मैंने जो यह ख़बर आपके ध्यान में लाई वह इसलिए लाई क्योंकि आपने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि उसने मरीज के हाथों की चाय पी। लेकिन अगर अस्पताल में ही कर्मचारी डर कर कमरे में ताला लगाकर चले जाते हैं और वह कमरा खाली है तो इससे गलत मैसेज जा रहा है। जिस डॉक्टर ने किसी के हाथ की बनी चाय पी, उसने पॉजिटिव मैसेज दिया लेकिन जिसने अपने बैठने के कमरे में ताला लगा दिया, उसने नैगेटिव मैसेज दिया है, यह मैं कहना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए।

17.03.2015/1225/sls-jt-3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विपक्ष सूचना दे रहे हैं। अगर यह सूचना ठीक पाई गई तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी , एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कई बार इग्नोरैंस की वजह से यह बातें हो जाती हैं ..

जारी ..गर्ग जी

17/03/2015/1230/RG/AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री--------क्रमागत

कई बार इग्नोरैंस के कारण ऐसी बातें हो जाती हैं और क्लास-थ्री एवं क्लास-फोर ही ताला लगा देते हैं। डॉक्टर्ज को नोटिस ही नहीं होता। एक बच्चा एच.आई.वी. पॉजिटिव पाया गया ,उसको उन्होंने आइसोलेशन में कर दिया। इस पर भी हमने कार्रवाई की है कि जो एच.आई.वी. एड्ज पॉजिटिव पेशेन्ट है ,उसको अलग करने की कोई जरूरत नहीं है because it is not a communicable disease. इसलिए इसका जो वायरस होता है, सात दिन के पश्चात इस वायरस का इफैक्ट खत्म हो जाता है। यही सूचना मैं माननीय विपक्ष के नेता को देना चाहता हूं।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांक : 17मार्च, 2015 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
शिमला-171004 **सचिव।**